पत्रांक –सं०सं०–02/उ०नि०/CMMSECDP–24–01/2016............

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री लखीसराय राईस मिल क्लस्टर प्रा० लि०, लखीसराय को द्वितीय किस्त के रूप में 40 प्रतिशत की दर से रू० 329.378 लाख (तीन करोड़ उनत्तीस लाख सैतिस हजार आठ सौ रूपए मात्र) के सहायक अनुदान के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत लखीसराय राईस मिल क्लस्टर, लखीसराय के प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत रू0 914.94 लाख के विरूद्ध 90 प्रतिशत की दर से अनुमान्य अनुदान रू0 823.446 लाख की राशि के विरूद्ध विभागीय ज्ञापांक–4520 दिनांक–29.12.16 के द्वारा 10 प्रतिशत की दर से प्रथम किस्त के रूप में रू0 82.344 लाख (बेरासी लाख चौतीस हजार चार सौ रूपए मात्र) उपलब्ध कराया गया था। उक्त क्रम में राज्य स्तरीय समिति की दिनांक–10.09.18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–3141, दिनांक–11.09.18 के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में **सर्वश्री लखीसराय राईस मिल क्लस्टर प्रा0 लि0, लखीसराय को कुल अनुमान्य अनुदान के 40 प्रतिशत की दर से द्वितीय किस्त के रूप में रू0 329.378 लाख (तीन करोड़ उनत्तीस लाख सैतिस हजार आठ सौ रूपए मात्र) की व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

2. उक्त योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प सं0–4773, दिनांक–28.10.13 द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री सुक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना हेतु दिये गये दिशा निदेश के अनुसार किया जाएगा।

3. राशि का व्यय स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार नहीं पाए जाने की स्थिति में तथा राशि का विचलन किए जाने पर SPV को भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित उद्योग विभाग को वापस करना होगा। व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय का ससमय अनुश्रवण करेंगे कि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार कराया जा रहा है या नहीं? साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं? प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएँगे।

5. उक्त क्लस्टर के पी0एम0ए0 मेसर्स आई0एल0 एंड एफ0एस0 क्लस्टर इनिशिएटिभ, पटना उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त कराए जा रहे कार्यो का नियमित अनुश्रवण करेंगे ताकि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप हो सके। साथ ही वे उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय के माध्यम से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्यशीर्ष–00–,लघु शीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, उपशीर्ष–0101– हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड–23-2851001040101 विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

Diwakar-02

7. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें।

8. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

9. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर कोषागार फार्म संख्या 42 पर की जाएगी।

10. इस राशि का भुगतान **सर्वश्री लखीसराय राईस मिल क्लस्टर प्रा0 लि0, लखीसराय को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं०-सं0सं0-02/उ0नि0/CMMSECDP/24-01/2016 के पृष्ट-30/टी0 दिनांक-18.09.18 को प्राप्त है जिसका डायरी सं02406 दिनांक-14.09.18 है।

12. वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि0(2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-............ पटना, दिनांक............

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-3536 पटना, दिनांक 11.10.18

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, लखीसराय/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/संयुक्त उद्योग निदेशक (बजट), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/योजना शाखा, प्रशाखा-01(सरकार)/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/लखीसराय राईस मिल क्लस्टर प्रा0 लि0, लखीसराय/मेसर्स आई0एल0 एंड एफ0एस0 क्लस्टर इनिशिएटिभ, आर्केड बिजनेस स्कूल भवन, खगौल रोड, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Diwakar-02